सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 6 राँची, शुक्रवार

11 पौष, 1937 (श०)

1 जनवरी, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 दिसम्बर, 2015

1. उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-197/गो0, दिनांक 18 फरवरी, 2013

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0-8222, दिनांक 19 अगस्त, 2014 एवं संकल्प सं0-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015

3. श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह- संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-165/2015, दिनांक 24 जुलाई, 2015

संख्या-10858--श्री अमित प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-676/03, गृह जिला- राँची), के अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-197/गो0, दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित हैं। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

आरोप संख्या-1. प्रधान सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6406, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 से प्राप्त निदेश के आलोक में अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार के बीच खाद्यान्न के वितरण हेतु उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-5आ0, दिनांक 12 जनवरी, 2011 से अनुमंडल स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर को नामित किया गया था, आप दिनांक 20 अप्रैल, 2012 से लगातार अभी तक अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर के प्रभार में हैं। परन्तु आपके द्वारा अपने पदस्थापन काल में लगभग 6 माह से अधिक तक भी इस विषयक कोई अनुश्रवण/निरीक्षण कार्य नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा उपायुक्त, पलामू को किसी प्रकार की अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदन ही प्रेषित किया गया। आपके द्वारा उपरोक्त दिये गए निदेश का अनुपालन सहीं ढंग से किया जाता तो छत्तरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अनाज के उठाव एवं वितरण में अनियमितता की संभावना नहीं रहती। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है, जो उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश/आदेश की अवहेलना करने का पूर्णरूपेण परिचायक है ।

आरोप संख्या-2. अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर होने के नाते यह आपका दायित्व बनता है कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण/अनुश्रवण करते रहते एवं निरीक्षण टिप्पणी से उपायुक्त, पलामू को अवगत कराते रहते, तो इस तरह की अनाज की कालाबाजारी की संभावना नहीं रहती। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा दायित्वों का सही ढंग से पालन एवं निर्वहन नहीं किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है ।

आरोप संख्या-3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों के बीच अतिरिक्त बी0पी0एल0 के चावल वितरण के लिए पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया था, जिस पंजी के प्रत्येक माह वितरित किए गए चावल की मात्रा अंकित करते हुए उपभोक्ता का हस्ताक्षर करना था। किन्तु आपके द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण नहीं करने के फलस्वरूप दुकानदारों द्वारा उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। फलतः आपके द्वारा निरीक्षण एवं अनुश्रवण में बरती गयी लापरवाही के कारण अनाज का कालाबाजारी किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इस कालाबाजारी कराने में आपकी भी सहभागिता परिलक्षित होती है ।

आरोप संख्या-4. जब आपको यह एहसास हुआ कि अनाज की कालाबाजारी से संबंधित मामला वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में आनेवाली है तो आपने अपने बचाव के लिए यह मामला लगभग 6 माह के पश्चात् उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया। अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर का प्रभार लेने के साथ ही खाद्यान्न उठाव एवं वितरण से संबंधित मामलों की सघन पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करते तो अनाज की कालाबाजारी रोकी जा सकती थी किन्तु आपने निजी स्वार्थों के कारण जानबूझकर इस मामले को 6 माह तक दबाए रखे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त कालाबाजारी में आपकी भी पूर्ण रूप से सहभागिता है ।

आरोप संख्या-5. आपका यह आचरण अनुशासनहीनता/अपने कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करना परिलक्षित करता है, जो सरकारी सेवक आचार संहिता के विरूद्ध था ।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-2160, दिनांक 07 मार्च, 2013 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री प्रकाश द्वारा पत्रांक- 115/गो0, दिनांक 20 मार्च, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-3230, दिनांक 12 अप्रैल, 2013 द्वारा उपायुक्त, पलामू से श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1880/गो0, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 द्वारा श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

प्रपत्र-'क' में गठित आरोप, आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-8222, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय संकल्प सं0-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-165/2015, दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच-प्रतिवेदन में दिये गये तथ्य आरोपवार निम्नवत् हैं:-

आरोप सं0-1. छत्तरपुर अनुमंडल के छत्तरपुर प्रखण्ड में बी0पी0एल0 परिवार के लिए आवंटित खाद्यान्न का उठाव कर कालाबाजारी जून 2012 के पूर्व हुई है। इसकी जाँच कर आरोपी पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यालय को अक्टूबर, 2012 में सूचित किया गया है परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर का दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् जन वितरण प्रणाली के दुकानों का नियमित अनुश्रवण/नियमित निरीक्षण करने तथा जिला कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन इनसे अक्टूबर, 2012 के पूर्व कभी प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा नियमित अनुश्रवण/निरीक्षण नहीं किया जाता था। अतः आरोप प्रमाणित है ।

आरोप सं0-2. उक्त तथ्यों के आधार पर ही संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों का नियमित अनुश्रवण/ निरीक्षण नहीं किया गया है ।

आरोप सं0-3. अप्रमाणित ।

आरोप सं0-4. अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों के लिए जून 2011 माह के आवंटित खाद्यान्न का उठाव कर इसकी कालाबाजारी मार्च, 2012 से मई, 2012 के बीच की गयी है। इसकी जाँच कर इसका उदभेदन आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अक्टूबर, 2012 में की गयी है तथा जाँच के आधार पर इस कालाबाजारी में संयुक्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा डीलरों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। अतः कालाबाजरी में इनकी संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है ।

आरोप सं0-5. आरोपी पदाधिकारी अप्रैल, 2012 से अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर के प्रभार में थे तथा छत्तरपुर प्रखण्ड में बी0पी0एल0 चावल की कालाबाजारी का उदभेदन आरोपी पदाधिकारी द्वारा अक्टूबर, 2012 में किया गया है। बी0पी0एल0 खाद्यान्न के उठाव/वितरण कार्य के अनुश्रवण/निरीक्षण की जिम्मेवारी अनुमंडल पदाधिकारी को दी गयी थी। इसके तहत् नियमित रूप से प्रत्येक माह में शतप्रतिशत दुकानों का निरीक्षण/अनुश्रवण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा स्वयं

अनुमंडल पदाधिकारी को मिलकर सुनिश्चित करना था। अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में जन वितरण प्रणाली के दुकानों का नियमित अनुश्रवण/निरीक्षण करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजा जाना चाहिए था। अप्रैल, 2012 से अक्टूबर, 2012 तक (अनाज के कालाबाजारी का उदभेदन होने तक) आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपना निरीक्षण/अनुश्रवण प्रतिवेदन जिला कार्यालय को कभी नहीं भेजा गया। अतः विभागीय निदेश एवं उपायुक्त, पलामू का निर्देश का अनुपालन इनके द्वारा नियमित रूप से नहीं किया गया है ।

श्री प्रकाश के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा ही मामले का उदभेदन कर जाँच प्रतिवेदन जिला को भेजा गया, जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है, जिसके कारण अनियमितता पकड़ में आई। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी के कार्य एवं नियत पर शक करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः श्री अमित प्रकाश को दोष मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अमित प्रकाश, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 6—50 ।